रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-04042026-271574
CG-KA-E-04042026-271574

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1655] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 2, 2026/चैत्र 12, 1948
No. 1655] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 2, 2026/CHAITRA 12, 1948

रेल मंत्रालय

[दक्षिण पश्चिमी रेलवे(निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

बेंगलुरू, 2 अप्रैल, 2026

का.आ. 1720(अ).—रेल अधिनियम 1989 (24 ऑफ 1989) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 ए की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार (रेल मंत्रालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बेंगलुरु छावनी) इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, संलग्न अनुसूची में दिए गए संक्षिप्त विवरण वाली भूमि, विशेष रेल परियोजना, अर्थात् "कर्नाटक राज्य में अरसिकेरे-हब्बनघट्टा में कि.मी. 162/700-800 (हब्बानघट्टा कवल ग्राम) पर समपार फाटक सं.131 के स्थान पर आरओबी के निर्माण" के निष्पादन हेतु आवश्यक है, एतद्वारा ऐसी भूमि के अधिग्रहण की अपनी मंशा की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति, आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20 डी की उपधारा (1) के तहत उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग पर आपत्ति उठा सकता है।

अरसिकेरे- हब्बनघट्टा में कि.मी. 162/700-800 (हब्बनघट्टा कवल गांव) पर समपार फाटक सं.131 के स्थान पर आरओबी के निर्माण के संबंध में प्रत्येक ऐसी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सहायक आयुक्त, हासन और 'मध्यस्थ', अर्थात्

'क्षेत्रीय आयुक्त, बेंगलुरु' को लिखित में दी जाएगी और उसमें आपत्ति के आधार बताए जाएंगे। सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को स्वयं या किसी कानूनी सलाहकार के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसी सभी आपत्तियों की सुनवाई के बाद और यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली आगे की जांच करने के बाद, आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 20 डी की उपधारा (2) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-मानचित्र और अन्य विवरण सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सहायक आयुक्त, हासन के उपर्युक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और कोई भी इच्छुक व्यक्ति उसका निरीक्षण कर सकता है।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के अरसिकेरे - हब्बनघट्टा में कि.मी. 162/700-800 (हब्बनघट्टा कवल ग्राम) पर समपार फाटक सं.131 के स्थान पर आरओबी के निर्माण की प्रस्तावित विशेष रेलवे परियोजना के अंतर्गत आने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण, जिसमें संरचना सहित या बिना संरचना के भूमि शामिल है।

जिला: हासन **तालुक: अरसिकेरे**

होबली: कसाबा **गांव: हब्बनघट्टा कवल**

क्र.सं.	सर्वे सं.	जमीन का मालिक	आरटीसी के अनुसार कुल सीमाएँ (ए-जी)	भूमि का वर्गीकरण	अधिग्रहण के लिए आवश्यक क्षेत्र	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	क्षेत्रफल (हेकटार में)	पेड़-पौधों का विवरण	भवन और अन्य
1	252	श्री कस्तूरबा ट्रस्ट पक्ष के प्रतिनिधि	85-27	बंधकी भूमि	0-35	3540.98	0.354	23 नारियल (बड़ा) 15 नारियल (छोटे) 8 वन वृक्ष	-

सार				
एस. एन	गांव का नाम	अधिग्रहण का क्षेत्र (क्षेत्रफल में)		
		ए-जी	क्षेत्र फल ((वर्ग मीटर में)	क्षेत्र फल (हेकटायर में)
1.	हब्बनघट्टा कवल	0-35	3540.98	0.354
		0-35	**3540.98**	**0.354**

[फा. सं. डब्ल्यू. 271/नि/बें छा /2025-26/भूमि विरेप/1727]

प्रदीप पुरी, मुख्य अभियंता-III/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[South Western Railway(Construction Organisation)]

NOTIFICATION

Bengaluru, the 2nd April, 2026

S.O. 1720(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 20 A of the Railway Act 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government (Ministry of Railway, South Western Railway, Construction Organisation, Bengaluru Cantonment) after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto, is required for the execution of the Special Railway Project, viz., "Construction of ROB in lieu of LC No. 131 at Arsikere- Habbanaghatta at Chainage 162/700-800 (Habbanaghatta Kaval village)," in the state of KARNATAKA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period Thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act:

Every such objection shall be made to the Competent Authority viz., Assistant Commissioner, Hassan and 'Arbitrator' viz., 'Regional Commissioner, Bengaluru" for Construction of ROB in lieu of LC No. 131 at Arsikere-Habanghatta at Chainage 162/700-800 (Habanaghatta Kaval village) in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20 D of the said Act shall be final:

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid Office of the Competent Authority viz., Assistant Commissioner, Hassan.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure. falling with in the proposed Special Railway Project of Construction of ROB in lieu of LC No. 131 at Arsikere- Habanaghatta at Chainage 162/700-800 (Habannaghatta Kaval Village) in the state of Karnataka.

DISTRICT: HASSAN **TALUK: ARSIKERE**

HOBLI: KASABA **VILLAGE: HABBANAGHATTA KAVAL**

Sl No	Sy No	Land Owner	Total Extent as per RTC (A-G)	Classification of land	Extent required for acquisition	Extent in Sq Mtr	Extent in Hec	Trees & Plants details	Building & others
1	2	3	4	4	5	6		7	
1	252	Shri Kasturba Trust Paravagi Pratinidhi	85-27	Bhagayatu	0-35	3540.98	0.354	23 Coconut (Big) 15 Coconut (small) 8 Jungle wood	-

<table>
<tr><th colspan="5">ABSTRACT</th></tr>
<tr><th rowspan="2">SN</th><th rowspan="2">Name of the village</th><th colspan="3">Extent of acquisition (in Area)</th></tr>
<tr><td>A-G</td><td>Area in Sq Mtrs</td><td>Area in Ha</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Habbanaghatta Kaval</td><td>0-35</td><td>3540.98</td><td>0.354</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>0-35</td><td>3540.98</td><td>0.354</td></tr>
</table>

[F. No. W.271/CN/BNC/2025-26/Land SRP/1727]

PARDEEP PURI, Chief Engineer-III/Construction

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.04.04 17:16:35 +05'30'